जनसुनवाई कार्यवाही विवरण

"चाइना क्ले माइनिंग क्लस्टर (एम.एल. नं. 06/2014, 08/2014, 18/2014 & Ref. no. 20201000022543), कुल क्लस्टर क्षेत्र 15.0002 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 5,35,800.17 TPA(ROM)" आवेदक **श्री जुबेर खान और श्री सिंधी जुनेद मोहम्मद खान**, अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1,26,561 TPA(ROM) (सेलेबल मिनरल 1,00,000 TPA, सबग्रेड 5555.5 TPA एवं सॉयल 5555.5 TPA) Ref. no. 20201000022543, खसरा नं. 502/421, क्षेत्रफल 2.97 हेक्टेयर गांव–छावटा कलां, तहसील– जायल, जिला–नागौर **की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर कि अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2022 को दोपहर 12:00 बजे, कार्यालय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (IT-CENTRE)**, ग्राम टांगला, तहसील–जायल, जिला–नागौर (राजस्थान) में आयोजित **जनसुनवाई की कार्यावाही का निम्नानुसार है :–**

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रमांक RPCB/RO/NGR/PUB-138/1384-1389 दिनांक 28.09.2022 एवं कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2022/5962 दिनांक 20.09.22 कि अनुपालना में "चाइना क्ले माइनिंग क्लस्टर (एम.एल. नं. 06/2014, 08/2014, 18/2014 & Ref. no. 20201000022543), कुल क्लस्टर क्षेत्र 15.0002 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 5,35,800.17 TPA(ROM)" आवेदक **श्री जुबेर खान और श्री सिंधी जुनेद मोहम्मद खान**, अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1,26,561 TPA(ROM) (सेलेबल मिनरल 1,00,000 TPA, सबग्रेड 5555.5 TPA एवं सॉयल 5555.5 TPA) Ref. no. 20201000022543, खसरा नं. 502/421, क्षेत्र 2.97 हेक्टेयर गांव–छावटा कलां, तहसील– जायल, जिला–नागौर के खनन से सम्बधित जनसुनवाई हेतु दिनांक 04.11.2022 को आयोजित की गई। जनसुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है।** जनसुनवाई की आमसूचना दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति एवं नागौर दैनिक भास्कर में दिनांक 29.09.2022 में प्रकाशित करवाई गई **परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।**

जनसुनवाई के प्रारंभ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी **श्रीमती सविता** ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया तत्पश्चात **श्री मोहनलाल खटनावलिया** अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारंभ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उदेद्श्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरण सलाहकार को आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से पर्यावरण सलाहकार टीम **मैसर्स एटमॉस सस्टेनेबल सॉल्युशन प्राइवेट लिमिटेड**, के पर्यावरणीय सलाहकार **श्री उमेश कुमार शर्मा** ने प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में उपस्थित लोगों को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में, परियोजना की स्थिति, लोकेशन मैप, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपशिष्ठ गुणवत्ता प्रबंधन,) व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपशिष्ट को अनुमोदित माइंनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रबंधन तथा मण्डल मानकों के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर एवं श्री मोहनलाल खटनावलिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया।

इसी क्रम में उक्त खनन परियोजना से संबंधित व्यक्तियों से में से कुछ विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए गए जो निम्न प्रकार हैः–

1. श्री भूराराम जी, ग्राम –टांगला, द्वारा बताया गया कि ये लोग पेड़ पौधों के बारे में इतना बता रहे हैं लेकिन पेड़–पौधे कहीं नहीं है।
   इसके प्रत्युतर में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि जो भी सारी चीजें यहां बताई गई उसमें सबसे पहले एक लाईन बोली गई कि पर्यावरणीय स्वीकृति अर्थात् एनवायरमेंन्ट क्लीयरेन्स, यह सरकार द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो सब चीजें यहां बताई गई है यह सारी चीजें उस पत्र के अन्दर सशर्त लिखित में आती है। और

परियोजना प्रस्तावक को हर छः महीने के अन्दर उसकी अनुपालना करने के लिए बाध्य होता है, अगर छः महीने के अन्दर इसकी अनुपालना नहीं करता है तो यह पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र रद्द हो जाता है यानि ऐसा नहीं है जो चीजे बताई गई कि पेड़ पौधे यहां लगेंगें कितने लगेगें इनको लगाने के लिए प्रस्तावक बाध्य है इनको करना ही पड़ेगा।

2. श्री सुरेश छाबा, (सरपंच प्रतिनिधि ग्रांम – छावटा), द्वारा बताया गया कि चाइना क्ले मांइस में भारी वाहनों के आवागमन के लिए गांव से बाइपास या कोई दूसरे रास्तों से निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा चाइना क्ले की जितनी भी मांइस है वो नाडी और तालाब की अंगौर भूमि के आस–पास है, उन अंगौर भूमि के लिए तारबंदी/जाली करवाना ओर चारों तरफ पौधे करवाना ओर नाडी में पानी आवागमन के लिए जो उबड़–खाबड़ जमीन है उसको समतल करवाना ओर जो अवांछित पौधे हैं जैसे अंग्रेजी बबूल है जिनसे पानी खराब होता है नाडी का, या जो गंदा पानी आता है उसकी आवागमन की रोकथाम के लिए कुछ व्यवस्था करवानी है, दूसरा हमारे यह जो गांव के चारों ओर जो सड़के हैं वो ग्रेवल है या कच्ची सड़के है, डामर सड़क केवल स्टेट हाइवे से टांगला केवल एक ही सड़क आ रही है तो टांगला से फरड़ौद के लिए डामरीकरण करवाना जो भारी वाहनों के लिए सबसे बढिया रास्ता जो 5 किमी. लम्बा है, दूसरा आगे टांगले में बिणजारों की ढाणी है जिसके आस पास खूब चाइना क्ले मांइस है उनके लिए डामर सीधा छावटा कलां से होते हुए 101 के लिए डामर जाती है वो डामर करवानी, एक है छावटा कला से 11 के लिए सड़क करवानी ओर एक है टांगला से रोल के लिए सीधी सड़क जाती है उसके लिए डामर करवाना, दूसरा यहां लाईट की व्यवस्था नहीं है। नाइट में एक जी.एस.एस. पहले आंवटित था लेकिन हुआ नहीं गांव में शाम को अंधेरा होने के बाद सारी गलियों मे अंधेरा रहता है उसके लिए स्टीट्र लाईटें एक हाई मास्क प्रत्येक गांव में एक एक हाई मास्क लाइट लगवानी। ओर एक सामुदायिक हॉस्पिटल के लिए जगह पंचायत उपलब्ध करवा देगी उसकी स्वीकृति के लिए आवेदन करवाना है ताकि यहां चिकित्सा की व्यवस्था हो सके और एक मंदिरों में गार्डन की व्यवस्था करवानी है यहां एक सात गांव की गौशाला है उसमें गायें भी खूब सारी है उनके लिए सहायता राशि निश्चित की जाए एक रशीद बुक जिससे बाहर की गाड़ियां आती है जिनके लिए पचास रूपये, सौ रूपये एक शुल्क निर्धारित किया जाये, उसका उपयोग गायों के लिए चारे–पानी की व्यवस्था के लिए किया जा सके बाकि ओर जो भी चीजे गांव वाले बतायेंगें ओर जो भी बोला है वही लिखित में दे देगें। श्री सुरेश छाबा द्वारा जन सुनवाई के दौरान लिखित में ज्ञापन दिया गया। जिसकी प्रतिलिपि **परिशिष्ट संख्या 03 पर संलग्न है।**

3. श्री हरिराम गांव टांगला (9784723933) द्वारा बताया गया कि यहां पर दो हजार लेबर काम कर रहीं है ओर हजार लेबर को रोजगार मिला है मशीनरी से भी

Deenita

बीस/तीस/पचास लोगों को रोजगार मिला है तथा ट्रांसपोटेशन से भी लोगों को रोजगार मिलता है तथा ये फायदे होते है, मांइनिग से गर्वमेन्ट को राजस्व बढता है तथा रोजगार मिलता है।

4. श्री हरिराम सांगवा गांव ग्यार (7732925311) के द्वारा बताया गया कि इस परियोजना से बहुत फायदा होगा अभी थोडी माइन्स चल रही है जिससे भी हो रहा है ओर आगे भी होगा।

5. श्रीमान ए.डी.एम. साहब द्वारा पुन आग्रह किया गया किसी को कोई आपति आक्षेप सुझाव है तो वे मौखिक या लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है। इसके बाद भी कुछ समय तक अपनी आपति या सुझाव पेश कर सकते है।

6. श्री देवकरण गांव टांगला द्वारा बताया गया कि रात को खाने के समय लाईट चली जाती है ओर खाना खाने के पश्चात् आती है। जिससे वृद्ध लोगों को परेशानी होती है।

जन सुनवाई से पहले, दौरान एवं जन सुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित एक सुझाव/आपत्ति/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त हुआ हैं। (संलग्न–ख)

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी ग्रामवासियों को सुझाव प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद कहा एवं जन–सुनवाई समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

Savita
(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर

(मोहन लाल खटवानिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर (राजस्थान)

ANNEXURE:- 01

उपस्थिति पत्रक

मै श्री जुबेर खान और श्री सिद्दी जुनेद मोहम्मद खान गाव भावला कला, तहसील जायल जिला नागौर के "चाइना क्ले माइनिंग क्लस्टर (एम एल न 06/2014, 08/2014, 18/2014 & Ref. no. 20201000022543), कुल क्लस्टर क्षेत्र 15.0002 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 5,35,800.17 TPA(ROM)" आवेदित अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,26,561 TPA(ROM) (सेलेबल मिनरल 1,00,000 TPA, सबग्रेड 5555.5 TPA एवं सॉयल 5555.5 TPA) Ref. no 20201000022543, की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान - भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई टी सेन्टर) गाँव टांगला, तहसील-जायल, जिला नागौर
जिला नागौर।
दिनाक :-04.11.2022
समय -दोपहर 12:00 बजे से

क्र.स.	नाम व पता	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	मोहन लाल खरनालिया ADM नागौर	9414252652	[illegible]
2.	Savita, Ro Nagaur	9983411222	Savita
3.	SAHDEV [illegible], ME.	8094350356	[illegible]
4.	Tejraj Gaur, AEE, RSPCB, Nagaur	95490266U7	[illegible]
5.	[illegible]	9799837035	[illegible]
6.	रामनिवास	9982896864	रामनिवास
7.	डावलदास	9828844617	डावलदास
8.	किशननारायण	9664007697	किशननारायण
9.	शिवराज गौड़	6377591344	शिवराज गौड़
10.	सौरभ कुमार	9636434565	[illegible]
11.	सुरेश [illegible]	9461122624	सुरेश
12.	[illegible] चौहान (पार्षद/टांगला)	9057330749	[illegible]
13.	हरिराम [illegible]	6350069323	हरि

उपस्थिति पत्रक

मै. श्री जुबेर खान और श्री सिराजी जुनेद मोहम्मद खान, गाव छापरा कला, तहसील जायल, जिला नागौर के "चाइना क्ले माइनिंग क्लस्टर (एम.एल. न. 06/2014, 08/2014, 18/2014 & Ref. no. 20201000022543), कुल क्लस्टर क्षेत्र 15.0002 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 5,35,800.17 TPA(ROM)" आवेदित अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,26,561 TPA(ROM) (सेलेबल मिनरल 1,00,000 TPA, सबग्रेड 5555.5 TPA एवं वेस्ट 5555.5 TPA) Ref. no. 20201000022543, की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान –भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई टी सेन्टर) गाँव छापरा, तहसील जायल, जिला नागौर

जिला नागौर।

दिनांक –04 11 2022

समय दोपहर 12.00बजे से

14.	जगदीश चायल	9460831892	जगदीश
15.	पुखराज शर्मा	9035118870	[illegible]
16.	[illegible]	9649759296	[illegible]
17.	जगदीश चायल	9460756065	जगदीश
18.	मोड़ सिंह	9279159906	मोड़ सिंह
19.	रामकिशोर [illegible]	9413449991	रामकिशोर
20.	नवरत्न चायल	9024242388	नवरत्न
21.	जगदीश चायल	8104231597	जगदीश
22.	हनुमान राम कड़वा	9588289522	हनुमान राम
23.	भुराराम चायल	9634009795	भुराराम
24.	हड़मानसिंह	9649234817	हड़मानसिंह
25.	जाकीर	9799548926	जाकीर
26.	हरीराम चायल	9734723933	[illegible]
27.	[illegible]	9983137811	गफार

उपस्थिति पत्रक

मै. श्री जुबेर खान और श्री सिधी जुनेद मोहम्मद खान, गाव छावटा कला, तहसील- जायल, जिला- नागौर के "चाइना क्ले माइनिंग क्लस्टर (एम.एल. न. 06/2014, 08/2014, 18/2014 & Ref. no. 20201000022543), कुल क्लस्टर क्षेत्र 15.0002 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 5,35,800.17 TPA(ROM)" आवेदित अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,26,561 TPA(ROM) (सेलेबल मिनरल 1,00,000 TPA, सबग्रेड 5555.5 TPA एवं वॉगल 5555.5 TPA) Ref. no. 20201000022543, की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :-भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव-टागला, तहसील-जायल, जिला-नागौर
जिला - नागौर।

दिनाक :-04.11.2022

समय :-दोपहर 12:00बजे से

28.	हरिराम सांगवा	7732925311	[signature]
29.	रामनीवास	9351447156	रामनीवास
30.	नेमीचन्द धायल	9950009770	नेमी
31.	किशोर सिंह	9928702840	किशोर सिंह
32.	जुबेर खॉन खोखर	9799837855	जुबेरखान
33.	आसराम दोतासरा	6376701337	आसराम
34.	भंवरलाल	6378980915	भवरलाल
35.	दोलाराम	9928178299	दोला
36.	भरत खोजा	9928260732	Bharat
37.	चेनाराम		चेनाराम
38.	Umesh Sharma	Env. Advisor Atmos Solutions	[signature]
39.	[illegible]	Env. Geologist " " "	[signature]
40.	[illegible]राम	9784781132	[signature]
41.	शिवदान	7734995193	शिवदान

उपस्थिति पत्रक

मै. श्री जुबेर खान और श्री सिंधी जुनेद मोहम्मद खान, गाव फावटा कला, तहसील- जायल, जिला- नागौर के "चाइना क्ले माइनिंग क्लस्टर (एम.एल. न. 06/2014, 08/2014, 18/2014 & Ref. no. 20201000022543), कुल क्लस्टर क्षेत्र 15.0002 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 5,35,800.17 TPA(ROM)" आवेदित अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,26,561 TPA(ROM) (सेलेबल मिनरल 1,00,000 TPA, सबोड 5555.5 TPA एवं सौगल 5555.5 TPA) Ref. no. 20201000022543, की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान –भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई टी. सेन्टर) गाँव टांगला, तहसील जायल, जिला नागौर

जिला – नागौर।

दिनाक –04 11 2022

समय –दोपहर 12:00बजे से

42.	आसिफ खान S/O रहमान खान	9772831100	Asif.
43.	रामकुंवार S/O सुरजारामजी	9982614910	रामकुंवार
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			

ANNEXURE-02

...हजार एकत्र कर बनवाए आयुर्वेद...

...के लिए जुटाए सवा लाख रुपए

आयरा, विमल शर्मा, मंगलसिंह, महेन्द्र सैनी, जीवणराम गोरा, कैलाश जाजड़ा, दीनदयाल शर्मा, राहुल, भंवरलाल चंदड़, ... सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग

डीडवाना। कुचामन मेगा हाईवे पर स्थित सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ... ज्ञापन सौंपा ... इस दौरान मदन ... हनुमान पूनिया, ... सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।

...की सफाई

नाम परिवर्तन

मैंने ... ASLAM S/O UMARDEEN ... ASLAM CHOUHAN S/O UMARDEEN CHOUHAN ...

कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, मकराना

विज्ञप्ति

...

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

क्षेत्रीय कार्यालय ... rorpcb.nagaur@gmail.com

दिनांक 29.09.22

पर्यावरणीय स्वीकृति जन सुनवाई हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. ... 04/2014 ... Ref no 2020100000025431 ... TPA (ROM) ... 1,00,000 TPA ... TPA Ref no 2020100000025431 ...
2. ... एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ...
3. ... EIA/EMP Report ...

1. जिला कलक्टर, नागौर।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, लखनऊ।
...

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय ... नागौर-341001 ... rorpcb.nagaur@gmail.com

दिनांक 29.09.22

क्रमांक - ... /आरओ-नागौर/सी.पी.जी. - 137/1395

पर्यावरणीय स्वीकृति जन सुनवाई हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "...माइनिंग प्रोजेक्ट ... क्लस्टर-10" ... 60,72,962 TPA (ROM) ... 83.3910 हैक्टेयर ...
2. ... एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ... दिनांक 15.01.2016 ... 30 दिवस ...
3. उक्त ... EIA/EMP REPORT ...

1. जिला कलक्टर, नागौर।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर, जिला-नागौर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, लखनऊ।
...

... दिनांक 04.11.2022 ... 11:00 बजे ...

क्षेत्रीय अधिकारी

शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से करें मु...

शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला सम्मेलन में पास किया प्रस्ताव

...

कबड्डी प्रतियोगिता में वीएसपी टीम अमरपुरा ने जीता खिताब

शूटिंग के वि...

वॉलीबाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जीता गोल्ड-सिल्वर मेडल

मेड़ता कॉलेज में एनसीसी भर्ती प्रकिया सम्पन्न

सिंह जयंती पर पौधारोपण करते हुए स्काउट।

ी जयंती उत्साह पूर्वक मनाई

की मनाई जयंती

सिंह की जयंती मनाई

सिंह की जयंती पर मदनी स्कूल में उपस्थित विद्यार्थी।

ह की जयंती मनाते हुए कार्यकर्ता।

गजेंद्र गैपाला और कानाराम परिया ने युवाओं से देश जागरूक होने का आह्वान किया। इस दौरान प्रेमसिंह परिया, गजेंद्र गैपाला, रामकुमार स्वामी, दामोदर सुखराम कडेला, प्रकाश सिंह पटेल आदि मौजूद रहे। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष पिंटू राम की अध्यक्षता में द भगत सिंह की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष पिंटू के शहीद भगत सिंह का बलिदान देश युगों तक याद की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर सभी पदाधिकारियों को आदर्शों पर चलने का आह्वान किया।

लन
नकारी
य कार्यक्रम

गेदर के अध्यक्ष बनाने पर लोगों ने दी बधाई

भास्कर संवाददाता | लोकल

[illegible] के उपाध्यक्ष पद से अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान लोकल में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुंवर राम गेदर को दूरभाष पर बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता एवं महासचिव [illegible]

शिक्षक संघ प्रगतिशील के सम्मेलन का समापन हुआ

भास्कर संवाददाता | नागौर

[illegible]ार मिर्धा धर्मशाला में आयोजित [illegible] शिक्षक संघ प्रगतिशील के [illegible] स्तरीय सम्मेलन के दूसरे दिन [illegible] ने शिक्षा संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा व मंथन किया। जिलाध्यक्ष ईश्वरचंद सिरोहिया ने कहा कि शिक्षा सबसे पावन और सशक्त क्षेत्र है। शिक्षकों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से [illegible] डाला तथा शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए हर समय तैयार रहने का आश्वासन दिया। सम्मेलन संयोजक [illegible]देव भादिया, महिला प्रदेश मंत्री [illegible] विश्नोई, जिला मंत्री खेराज सांगवा [illegible] कर्मचारी नेता सुरेश जाखड़ ने विचार रखे। इस दौरान सुरेन्द्र सिहोटा, प्रहलाद कस्वा, कमल किशोर भाकल, मेहराम [illegible]ला, ओमप्रकाश मौजूद रहे।

मुरली राम महाराज का बुगरड़ा में किया सम्मान

विधि कॉलेज नव निर्वाचित अध्यक्ष के सम्मान समारोह में पहुंचे कई लोग

भास्कर संवाददाता | नागौर

राजकीय विधि महाविद्यालय के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदनलाल कड़वासरा के विजय होने के उपलक्ष्य में बुगरड़ा में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदनलाल कड़वासरा के पिता राम कड़वासरा ने अपने निवास पर रामनामी महंत मुरली राम महाराज का स्वागत किया। रामनामी महंत मुरली राम महाराज ने कहा कि मानव जीवन दुर्लभ है और मानव जीवन चौरासी जून भुगतने के बाद मिलता है। मानव जीवन में जितना हो सके मानव कल्याण के लिए प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए कार्य करें व गरीब को गणेश मानकर प्रत्येक प्राणी मात्र की सेवा करें। इस अवसर पर सरपंच रामसुख नायक, भाकरोद सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र भाकल, अनिल बाकल्याल, सुरेंद्र ढेठड़, हरीश गोदारा, भंवरलाल स्वामी, नीरज मौजूद रहे।

नागौर. बुगरड़ा में सम्मान समारोह में दौरान मौजूद लोग।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण,, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर - 341001 (राज.) ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः- राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी. यू.बी.137/1395 दिनांकः 20/09/22

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. [illegible] 10' कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 60,72,962 TPA (ROM), क्लस्टर क्षेत्र 53.3910 हैक्टेयर, गांव- टांकला व टांकली, तहसील-जायल, जिला नागौर आवेदक माइनिंग इन्जीनियर, डिपार्टमेन्ट ऑफ माइन्स और जियोलॉजी, राजस्थान सरकार [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व [illegible] समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु [illegible] राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (जो इसके बाद में मण्डल के नाम से अभिहित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि माइनिंग इन्जीनियर, डिपार्टमेन्ट ऑफ माइन्स और जियोलॉजी, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व [illegible] समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस ओ 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित प्रारूप EIA / EMP Report एवं संक्षिप्त [illegible] अधोलिखित कार्यालयों में [illegible] उपलब्ध है

1. जिला कलक्टर, नागौर।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर जिला नागौर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, लखनऊ।
6. अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर
7. उपखण्ड अधिकारी, जायल
8. क्षेत्रीय [illegible], [illegible], नागौर
9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर
10. [illegible] (आई.टी. सेन्टर) गांव-टांकला, तहसील-जायल, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को [illegible] जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक [illegible] / प्रदूषण / जन सु 2022 / 5956 दिनांक 20.09.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 04.11.2022 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे [illegible] (आई.टी. सेन्टर) गांव-टांकला, तहसील-जायल, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर जिला नागौर को भी दिये जा सकते हैं।

भवदीय
(सचिव)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण,, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर - 341001 (राज.) ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः- राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी. यू.बी.138/1389 दिनांकः 20/09/22

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि [illegible] (एम.एल. नं. 06/2014 08/2014, 18/2014 & Ref no. 20201000022543), कुल क्लस्टर क्षेत्र 15.0002 हैक्टेयर कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 5,35,800.17 TPA (ROM)' [illegible] अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1,26,561 TPA (ROM) ([illegible] 1,00,000 TPA, [illegible] 5555.5 TPA एवं [illegible] 5555.5 TPA) Ref no. 20201000022543, खसरा नं 502/421, क्षेत्र 2.97 हैक्टेयर [illegible], तहसील- जायल, जिला नागौर से संबंधित [illegible] पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व [illegible] समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु [illegible] राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (जो इसके बाद में मण्डल के नाम से अभिहित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि [illegible] राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व [illegible] समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित प्रारूप EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त [illegible] अधोलिखित कार्यालयों में [illegible] उपलब्ध है

1. जिला कलक्टर, नागौर।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर जिला नागौर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, लखनऊ।
6. अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर।
7. उपखण्ड अधिकारी, जायल
8. क्षेत्रीय [illegible], [illegible], नागौर।
9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
10. [illegible] (आई.टी. सेन्टर) गांव-टांकला, तहसील-जायल, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को [illegible] जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक [illegible] / प्रदूषण / ज. सु. 2022 / 9862 दिनांक 20.09.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 04.11.2022 (शुक्रवार) को दोपहर 12:00 बजे [illegible] (आई.टी. सेन्टर) गांव-टांकला, तहसील- जायल, जिला नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर जिला नागौर को भी दिये जा सकते हैं।

भवदीय
(सचिव)
क्षेत्रीय अधिकारी

दैनिक भास्कर
समूह

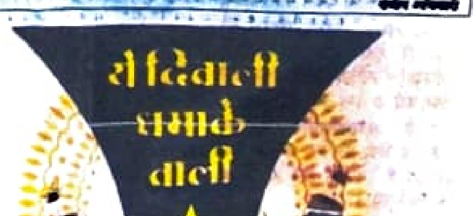

ANNEXURE-02

सत्यमेव जयते

कार्यालय ग्राम पंचायत टांगला

इन्द्रा
(सरपंच)
मो. 9414270024

पंचायत समिति, जायल (नागौर)

निवास : इन्द्रा W/o सुरेश छाबा
मु.पो. छावटा खुर्द
तहसील जायल, जिला-नागौर (राज.)

क्रमांक : ग्रा पं टांगला /2022-23/47
सेवा मे

दिनांक 04.11.2022

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर (राज)

विषय :- चाइनावल्ले खव सिलिका सैण्ड खनिज मय कल्स्टर परियोजना मे ग्राम पंचायत टांगला के विकास कार्यो के सम्बंध मे।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि ग्राम पंचायत टांगला मे चाइनावल्ले खव सिलिका सैण्ड (अप्रधान) खनिज मय कल्स्टर की खनन परियोजना की पब्लिक हियरिंग राजीव गांधी सेवा केन्द्र टांगला मे दिनांक 04.11.2022 को रखी गयी है। ग्राम पंचायत क्षेत्र मे खनिज विभाग से जमा DFMT व पर्यावरण विभाग RSMET की राशि पंचायत विकास कार्यो के लिए आवंटित करवाने की अनुशंषा की जा रही है

:- ग्रामीणो की मांगे :-

(1) चाइनावल्ले आवागमन के लिए भारी वाहनो के लिए ग्राम पंचायत की सड़को का चौड़ाईकरण करवाना जो कि निम्न है
(i) टांगला से करडू सड़क लम्बाई 5.00 किमी
(ii) टांगला से डिडार सड़क लम्बाई 7.00 किमी
(iii) टांगला छावटाखुर्द रेल सड़क लम्बाई 7.00 किमी
(iv) टांगला से [illegible] सड़क लम्बाई [illegible] किमी

(2) ग्रामपंचायत के सभी [illegible] ग्रामो मे स्ट्रीट लाइट [illegible]
[illegible]

सरपंच

सत्यमेव जयते

कार्यालय ग्राम पंचायत टांगला

इन्द्रा
(सरपंच)
मो. 9414270024

पंचायत समिति, जायल (नागौर)

निवास : इन्द्रा W/o सुरेश छाबा
मु.पो. छावटा खुर्द
तहसील जायल, जिला-नागौर (राज.)

क्रमांक :

दिनांक 24.11.2022

(3) ग्राम पंचायत की तालाब की ओरण भूमि का समतलीकरण, उन्नति व तरक्की के लिए उचित कार्य करवाना।

(4) तालाब व नाडी खुदाई करवाना तथा वर्षा जल संरक्षण के लिए तालाब व नाडी की सतह को मजबूत (प्लास्टिक का अभाव) करवाना ताकि पीने का पानी अधिक लम्बे समय तक संग्रहित किया जा सके।

(5) ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र से भारी वाहनों के आवागमन पर रोकथाम करके भारी वाहनों को बाईपास या अन्य रास्तों से आवागमन के लिए पाबन्द करवाना।

(6) ग्राम पंचायत के लिए सामुदायिक अस्पताल, खेल मैदान, तथा गार्डन विकसित करवाना।

(7) ग्राम पंचायत के लिए निजी विकास कार्यों हेतु सहायता राशि तथा गौशाला में गायों के पालन पोषण हेतु बजट राशि के लिए प्रोत्साहित करके बजट आवंटित करवाने की व्यवस्था करवाना।

अत श्रीमान जी निवेदन है कि उक्त बिन्दुओं की ग्राम पंचायत विकास के लिए अनुमोदन करके समस्त ग्रामीण जन की अभिलाषा को जगी है।

जगदीश ... इन्द्रा
सरपंच
ग्राम पंचायत ...
प. समिति, जायल (नागौर)

मोहनलाल
हड़मान सिंह
...